

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प 4(IV)/कृ.यंत्र/2017-18/ 2499-2722

दिनांक: 03/7/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....।


विषय:- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजनान्तर्गत अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017-18 बाबत।

कृषि यंत्रीकरण का लाभ राज्य के कृषकों, विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों, जो अपनी सीमित आय के कारण उन्नत एवं मंहगे कृषि उपकरणों का क्रय करने में सक्षम नहीं हैं, तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत राज्य के ऐसे जिलों जहां फार्म पॉवर की उपलब्धता कम है, में **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** का क्रियान्वयन किया जाना निश्चित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत इन **अभिलक्षित (Selected) गांवों** के कृषकों के स्वयं सहायता समूह, कृषकों के सहकारी संगठन तथा कृषक उत्पादक संगठन एवं इस प्रकार की अन्य संस्था, अपने लाभार्थी सदस्यों को कृषि कार्यों के लिये उन्नत कृषि मशीन एवं उपकरण के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत अधिकतम परियोजना लागत राशि रु. 10.00 लाख के **फार्म मशीनरी बैंक** की स्थापना के लिए **लागत राशि का अधिकतम 80 प्रतिशत** अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना के भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश एवं सामान्य निर्देश संलग्न हैं।

इस परिपेक्ष्य में **अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** के भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश तथा योजना के सामान्य निर्देश संलग्न कर आप से अनुरोध है कि **आपके जिले से योजना क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव आगामी 11 अगस्त 2017 तक अग्रेषित करने का श्रम करे।**


(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त.....।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. डीन, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर।
7. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वय), मुख्यालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आईसोपॉम/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/-शस्य ज0उ0प्र0/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय जयपुर।
11. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन).....।
13. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
14. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/एसीपी), मु0 जयपुर।
15. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ईगानप, बीकानेर.....।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार).....।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, एग्रीकल्चर ईक्विपमेण्ट मैनुफैक्चरिंग सोसाईटी, जयपुर।
20. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य में कृषकों की सहकारी समितियों/कृषक उत्पादक संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों, के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना हेतु प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश सदस्य बैंकर्स को भिजवाने की व्यवस्था करने का श्रम करे।
21. आरक्षी पत्रावली।



(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक कृषि (अभि0)

अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना

1. अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य:-

- 1.1 ऐसे अभिलक्षित (Selected) गांवों में जहां कृषि यंत्रीकरण का स्तर कम है, में स्थानीय कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा अपने लाभार्थी सदस्यों को यांत्रिक कृषि संक्रियाओं अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना।
- 1.2 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के कम्पोनेन्ट संख्या 4 के अन्तर्गत स्थापित फार्म मशीनरी बैंक (कस्टम हायरिंग केन्द्र) की सहायता से बड़े क्षेत्र में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाना।
2. परिचालन क्षेत्र
- 2.1 प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों का चयन किया जायेगा जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है।
- 2.2 इन चिन्हित जिलों में से ही इस योजना के क्रियान्वयन हेतु गांवों का चयन किया जायेगा।
- 2.3 इन अभिलक्षित (Selected) गांवों के कृषकों के स्वयं सहायता समूह, कृषकों के सहकारी संगठन तथा कृषक उत्पादक संगठन एवं इस प्रकार की अन्य संस्थाए, अपने लाभार्थी सदस्यों के द्वारा मशीन एवं उपकरण के उपयोग हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।
- 2.4 मशीनों/उपकरणों का चयन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यंत्रों/उपकरणों जिसका विवरण परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है, से किया जायेगा।
- 2.5 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन कम्पोनेन्ट संख्या (4) के अन्तर्गत स्थापित फार्म मशीनरी बैंक (कस्टम हायरिंग केन्द्रों) को कृषि यंत्रों/मशीनों के सब मिशन के दिशा-निर्देशों बिन्दु 11.1.4 के अनुसार प्रदर्शन कार्यक्रमों हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

3. वित्तीय सहायता:-

- 3.1 चयनित गांव अधिकतम परियोजना लागत राशि रु. 10.00 लाख के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने हेतु पात्र होगा।
- 3.2 ऐसे फार्म मशीनरी बैंक को परियोजना लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता देय होगी।
- 3.3 उन्नत कृषि यंत्रों/मशीनों के प्रदर्शन हेतु वित्तीय सहायता सब मिशन के दिशा-निर्देशों बिन्दु 11.1.4 के अनुसार देय होगी।

4. प्रबोधन/अनुश्रवण:-

- 4.1 जिला कृषि अधिकारी (उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद कार्यालय) द्वारा इन फार्म मशीनरी बैंकों का पर्यवेक्षण इनकी संचालन लागत एवं कस्टम हायरिंग केन्द्रों के द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शन कार्य क्रय के संदर्भ में किया जायेगा।

5. अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के सामान्य दिशा-निर्देश

- 5.1 कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि के द्वारा ऐसे ग्राम जहाँ कृषि यंत्रीकरण की यथेष्ट प्रगति नहीं है, का चयन "अभिलक्षित (Selected) गांवों में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु किया जा सकता है। इस प्रकार स्थापित किये जाने वाले फार्म मशीनरी बैंक की अधिकतम लागत राशि रु. 10.00 लाख होगी। योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की लागत का 80 प्रतिशत अनुदान देय है।
- 5.2 कृषकों की सहकारी समितियों, कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि के द्वारा स्थापित किये जाने वाले इन फार्म मशीनरी बैंक में रखे गये कृषि उपकरणों/यंत्रों का उपयोग उसके सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकेगा।
- 5.3 कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों के सदस्य परस्पर सम्बन्धित/एक ही परिवार से नहीं होने चाहिये।
- 5.4 कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषकों की सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि की अन्य पात्रता निम्नानुसार होगी :-



